अध्याय–7

राष्ट्रपति का अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव और संदेश

संवैधानिक उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 86 और 87 का संबंध राष्ट्रपति के अभिभाषण से है। अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद् के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। तथापि, संविधान के प्रारंभ से राष्ट्रपति ने अभी तक इस उपबंध के अधीन सदन या सदनों के समक्ष अभिभाषण नहीं किया है।

अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में है और उसमें उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति लोक सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद् को उसके आह्वान के कारण बताएगा।[1] अनुच्छेद 87(1) में मूलत: राष्ट्रपति से अपेक्षा की गई थी कि वह प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करेगा। संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा इस उपबंध में संशोधन कर दिया गया। प्रधान मंत्री ने इस संबंध में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए संविधान (पहला संशोधन) विधेयक, 1951 के खंड 7 के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके लिए इस सदन के बाहर कुछ तैयारी करनी पड़ती है जो बहुधा परेशानी पैदा करने वाली होती है। सदस्यों को मालूम है कि जब छह घोड़ों वाली गाड़ी आती है तो इस प्रयोजन के लिए अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं। जो भी हो, यह परेशानी सदन या उसके सदस्यों को नहीं बल्कि दिल्ली प्रशासन को भुगतनी पड़ती है।[2]

जब तक एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं हो जाता तब तक कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता। सैयद अब्दुल मंसूर हबीबुल्लाह **बनाम** अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा, ए॰ आई॰ आर॰ 1966, कलकत्ता 363 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद 176 में यह कहा था:

> यदि कोई विधान-मंडल राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारंभिक कार्य के बिना ही, जबकि अनुच्छेद 176 के अधीन यह प्रारंभिक कार्य करना अपेक्षित है, अपनी बैठक करता है और विधायी कार्य करता है तब उसकी कार्यवाही अवैधानिक और अमान्य है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

जैसाकि अनुच्छेद 87 में स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिभाषण एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष होगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोक सभा भंग कर दी गई है और राज्य सभा की बैठक होनी है तो राज्य सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना ही अपना सत्र कर सकती है। 1977 और 1991 में लोक सभा के भंग होने के दौरान क्रमश: 1 फरवरी, 1977 और 3 जून, 1991 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना ही राज्य सभा के सत्र हुए थे।

अभिभाषण की तारीख और समय

किसी सत्र के प्रारंभ होने के बारे में संसदीय कार्य मंत्रालय से सूचना प्राप्त होती है। जब राष्ट्रपति को एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करना होता है तब मंत्रालय राष्ट्रपति के अभिभाषण और तारीख के बारे में भी सूचना देता है। तथापि, आह्वान में अभिभाषण के बारे में सूचना नहीं दी जाती है। सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीख, समय और स्थान के बारे में बुलेटिन (संसदीय समाचार) में एक पैरा के द्वारा सूचना दी जाती है।

लोक सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद के प्रत्येक सत्र के मामले में राष्ट्रपति एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष तभी अभिभाषण करता है जब लोक सभा के सदस्यों ने शपथ ले ली हो या प्रतिज्ञान कर लिया हो। 1957, 1962, 1989, 1991 और 1996 के वर्षों में, जब लोक सभा के आम चुनाव भी हुए थे, राष्ट्रपति ने वर्ष के पहले सत्र के हो जाने के बाद एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष दो बार अभिभाषण किया।

प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के मामले में, राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सत्र के प्रारंभ के लिए अधिसूचित किए गए समय और तारीख को होता है। अभिभाषण के आधा घंटे बाद राज्य सभा और लोक सभा अपने-अपने सदनों में नियमित रूप से कार्य करने के लिए अलग-अलग समवेत होती हैं।

> तथापि, 2004 में जब सदन वर्ष में पहली बार 30 जनवरी, 2004 को समवेत हुआ, तब उसे वर्ष का पहला सत्र नहीं माना गया। इसके बजाए उसे राज्य सभा के 200वें सत्र, जो 2 दिसम्बर, 2003 को आरंभ हुआ था, का भाग-II माना गया। इसलिए, यह सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से आरंभ नहीं हुआ था। वर्ष 2004 में चौदहवीं लोक सभा के साधारण चुनावों के बाद 201वें सत्र में 7 जून, 2004 को राष्ट्रपति ने एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों को संबोधित किया।

राष्ट्रपति का अभिभाषण इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे होता है। तथापि, राष्ट्रपति के अभिभाषण का समय 1952 में मध्याह्न पूर्व 10.45 बजे, 1953 में मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे, 1954 में मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे, 1957 (13 मई, 1957) में मध्याह्न पूर्व 10.45 बजे और 1962 (18 अप्रैल, 1962) में मध्याह्न पूर्व 9.30 बजे निर्धारित किया गया था।

अभिभाषण से संबंधित समारोह

राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में कतिपय औपचारिकताएं बरती जाती हैं। अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति के पहुंचने के काफी पहले सदस्यगण संसद् के केन्द्रीय कक्ष (सेंट्रल हॉल) में समवेत होते हैं। मंत्रियों, उपसभापति/उपाध्यक्ष और दोनों सदनों के विपक्षी दलों/समूहों के नेताओं के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर सदस्य ऐसे अन्य स्थानों (सीटों) पर बैठते हैं जो विशिष्ट रूप से नियत या निर्धारित नहीं होते।

राष्ट्रपति विशेष समारोह के साथ गाड़ी में संसद् भवन की ओर प्रस्थान करते हैं और संसद् भवन के द्वार सं॰ 5 (पश्चिमोत्तर द्वारमंडप) पर पहुंचते हैं। उनके साथ उनके सचिव और सैनिक सचिव होते हैं और उनकी अगवानी घुड़सवार अंगरक्षकों द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक 'राष्ट्रीय सलामी' देते हैं और इसके पश्चात् राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के महासचिव द्वार (गेट) पर राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात् राष्ट्रपति के काफिले को केन्द्रीय कक्ष की ओर ले जाया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति और उनके साथ का काफिला केन्द्रीय कक्ष में प्रवेश करता है, लोक सभा का मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की सूचना देता है और दो तुरही-वादक तब

तक तुरही बजाते रहते हैं जब तक राष्ट्रपति मंच पर नहीं पहुंच जाते। इस समय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों से उठ खड़े होते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक राष्ट्रपति अपने स्थान पर आसीन नहीं हो जाते।

मंच के सामने केन्द्रीय कक्ष के तल पर पहुंचने पर काफिला दो भागों में विभक्त हो जाता है: राष्ट्रपति और पीठासीन अधिकारी मंच पर अपने-अपने स्थानों की ओर जाते हैं, राष्ट्रपति मंच पर मध्यवर्ती स्थान पर आसीन होते हैं, राज्य सभा के सभापति राष्ट्रपति की दाईं ओर और लोक सभा के अध्यक्ष बाईं ओर जाते हैं, प्रधान मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मंच के सामने की सीटों पर स्थान ग्रहण करते हैं, राज्य सभा के महासचिव, राष्ट्रपति के सचिव और दो ए डी सी (परिसहायक) मंच की दाईं ओर केन्द्रीय कक्ष के निचले स्थान पर रखी कुर्सियों की ओर जाते हैं और लोक सभा के महासचिव, सैनिक सचिव और ए डी सी मंच की बाईं ओर की कुर्सियों की ओर जाते हैं। मंच पर स्थित राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे दो ए डी सी खड़े रहते हैं। इसके तुरंत पश्चात् राष्ट्रपति के बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है जो केन्द्रीय कक्ष की लॉबियों में से एक लॉबी में खड़ा रहता है। इसके पश्चात् जैसे ही राष्ट्रपति बैठ जाते हैं, पीठासीन अधिकारी, सदस्य तथा दीर्घाओं में खड़े हुए दर्शक अपना-अपना स्थान पुन: ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति अभिभाषण को हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अभिभाषण का अंग्रेजी या हिन्दी रूपान्तर, जैसी भी स्थिति हो, सामान्यत: उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाता है।

> 1970 में राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी में किया और उसके प्रत्येक पैरा की समाप्ति पर उसका हिन्दी पाठ राष्ट्रपति के सचिव द्वारा पढ़ा गया। जब उस वर्ष राज्य सभा के सचिव राष्ट्रपति के अभिभाषण को सदन के सभा पटल पर रखने वाले थे तब सदस्यों द्वारा औचित्य प्रश्न उठाए गए जिनमें अभिभाषण के हिन्दी पाठ को राष्ट्रपति के सचिव द्वारा पढ़े जाने पर आपत्ति की गई थी। सभापति ने औचित्य प्रश्नों को अस्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि मामले के संबंध में सभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के समक्ष रख दी जाएगी।[3]

अभिभाषण की समाप्ति पर ढोल बजते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान होता है। तत्पश्चात् राष्ट्रपति एक काफिले में केन्द्रीय कक्ष से प्रस्थान करते हैं जिसका क्रम वही होता है जो उनके आगमन के समय पर था। जब काफिला केन्द्रीय कक्ष से प्रस्थान करता है तब सदस्यगण खड़े हो जाते हैं और जब तक वह केन्द्रीय कक्ष से नहीं चले जाते तब तक वे खड़े रहते हैं। द्वार पर पहुंचने पर राष्ट्रपति पीठासीन अधिकारियों, प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के महासचिवों से विदा लेते हैं। अंगरक्षक राष्ट्रीय सलामी देते हैं। राष्ट्रपति इसके अनंतर राष्ट्रपति भवन लौट जाते हैं।

हिन्दी और अंग्रेजी में अभिभाषण सहित सारे समारोह में एक घंटा या कभी-कभी उससे अधिक समय लगता है। 20 दिसम्बर, 1989 को दूरदर्शन द्वारा पहली बार इस समारोह और अभिभाषण का सीधा प्रसारण किया गया।

अवसर का महत्त्व

एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अंतर्गत एक गंभीर और औपचारिक कार्य है। इस अवसर पर उसके अनुरूप गरिमा और मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। अत: प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी कोई बात नहीं कहेगा या ऐसा आचरण नहीं करेगा जिससे इस अवसर की गंभीरता या गरिमा पर कोई आंच आए। सदस्यों से एक संसदीय समाचार के माध्यम से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अभिभाषण के दौरान केन्द्रीय कक्ष को छोड़कर बाहर न जाएं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों के आचरण के संबंध में लोक सभा द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

> यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करने और संसद् को आहूत करने के कारणों के बारे में उन्हें सूचना देने के संबंध में अनुच्छेद 87 के उपबंध आदेशात्मक हैं। यह राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक बाध्यता है और वे राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में अपना अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का एक विवरण है और संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते वे उस नीति के प्रमुख प्रवक्ता हैं। यह स्पष्ट है कि जब राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् राष्ट्रपति एक संवैधानिक उपबंध का प्रयोग करते हुए कार्य करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि दोनों सदनों के सदस्य उनके अभिभाषण को सुनने के लिए उपस्थित हों, तब गंभीरता और गरिमा बनाए रखने को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। वे कार्यपालक प्राधिकारी ही नहीं हैं बल्कि एक प्रकार से संविधान का प्रतीक हैं। यह ध्यान देने की बात है कि ब्रिटेन की संसद् में प्रचलित प्रथा का वहां तक अनुसरण करने की दृष्टि से, जहां तक वह हमारे देश की परिस्थितियों में व्यावहारिक है, इस अवसर को एक गंभीर अवसर माना जाता है। अत: इस गंभीर अवसर पर मर्यादा और शालीनता का वातावरण होना चाहिए।
>
> संविधान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक सदस्य पूरी मर्यादा और शालीनता बनाए रखे। राष्ट्रपति के अभिभाषण को शालीनता और मर्यादा के साथ सुनने की संवैधानिक बाध्यता सदस्यों के लिए भी उतनी ही है जितनी कि राष्ट्रपति द्वारा संसद् में अभिभाषण करने की है। अत: राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर यदि कोई सदस्य ऐसी हरकत करता है जिससे वातावरण बिगड़ जाता है या अशांति उत्पन्न होती है तो ऐसा आचरण संसद्-सदस्य के रूप में उसके लिए अशोभनीय है।
>
> इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद् राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं तब प्रत्येक सदस्य को स्वयं संसद् की गरिमा बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना ही चाहिए।[4]

अभिभाषण के दौरान अशांति उत्पन्न करने की घटनाएं

यदि कोई सदस्य अभिभाषण के अवसर पर अशांति उत्पन्न करता है तो सदन उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे। कभी-कभी सदन ने इस प्रकार की घटना की भर्त्सना की है या मर्यादा से बाहर चले जाने वाले सदस्यों के आचरण की निन्दा करने के प्रस्ताव पर चर्चा की है।

> 18 फरवरी, 1963 को अभिभाषण के आरंभ होने पर राज्य सभा का एक सदस्य कार्यवाही में व्यवधान डालने लगा। अगले दिन इस मामले पर राज्य सभा में चर्चा हुई। सदन ने घटना की निन्दा की और खेद व्यक्त किया। चर्चा की समाप्ति पर सभापति ने कहा:
>
> > ''मैं सभा के सभी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं कि कल जिस सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान डाला और बहिर्गमन किया, उनका आचरण निन्दनीय और एक संसद्-सदस्य के लिए अशोभनीय था। राष्ट्रपति संविधान के द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य को कर रहे थे और यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रपति स्वयं संसद् का भाग हैं। वे सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं और यदि कोई सदस्य शालीनता और मर्यादा के दायरे से बाहर चला जाता है तो वह दंडनीय है। मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हें यह बताऊंगा कि इस अत्यंत खेदजनक घटना से सभा को गहरा दु:ख पहुंचा है।''[5]
>
> दूसरे दिन सभापति ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्हें यह बताया कि ''एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष कल हुए आपके अभिभाषण के आरंभ में राज्य सभा के एक सदस्य के निंदनीय और किसी भी संसद्-सदस्य के किए अशोभनीय आचरण की जो अत्यंत खेदजनक घटना हुई है उस पर राज्य सभा को गहरा दु:ख हुआ है।''[6] 20 फरवरी, 1963 को सभापति ने सदन में राष्ट्रपति से प्राप्त एक पत्र को पढ़कर सुनाया जिसमें राष्ट्रपति ने राज्य सभा की भावनाओं की सराहना की थी।[7]

23 मार्च, 1971 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राज्य सभा के तीन सदस्यों ने व्यवधान डाला और राष्ट्रपति के प्रति असम्मान प्रदर्शित किया। 7 अप्रैल, 1971 को हुई राज्य सभा की बैठक में इन सदस्यों के आचरण की निन्दा करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया गया:

> ''यह सभा श्री राजनारायण, श्री नागेश्वर प्रसाद शाही और श्री सीताराम सिंह के आचरण की घोर निन्दा करती है, और उनके अवांछनीय, अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार की भर्त्सना करती है जिन्होंने 23 मार्च, 1971 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अधीन एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के गंभीर अवसर पर व्यवधान डाला और उनके प्रति असम्मान प्रदर्शित किया।''[8]

सदन ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की किंतु चूंकि और अधिक सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि ''प्रस्ताव पर आगे चर्चा अगले सत्र के लिए स्थगित कर दी जाए'' और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।[9] तथापि, अगले या उसके बाद के किसी सत्र में प्रस्ताव को आगे चर्चा के लिए नहीं लिया गया।

किंतु निम्नलिखित मामलों में सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अशांति उत्पन्न किए जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया:

> 20 दिसम्बर, 1989 को अभिभाषण के दौरान जैसे ही राष्ट्रपति ने मंडल आयोग से संबंधित पैरा को पढ़ा, राज्य सभा के एक सदस्य ने मंडल आयोग के सम्बन्ध में आश्वासनों को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में शोर मचाना शुरू कर दिया।[10]
>
> 12 मार्च, 1990 को अभिभाषण के दौरान राज्य सभा के एक सदस्य ने मंडल आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित न किए जाने के विरोध में एक समानांतर भाषण शुरू कर दिया और बाद में वह केन्द्रीय कक्ष छोड़कर बाहर चले गए।[11]
>
> 21 फरवरी, 1991 को अभिभाषण के दौरान राज्य सभा के एक सदस्य खड़े हो गए और उन्होंने अभिभाषण में मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कोई उल्लेख न होने पर आपत्ति की। इसके बाद वे केन्द्रीय कक्ष छोड़कर बाहर चले गए।[12]
>
> 11 जुलाई, 1991 को अभिभाषण के दौरान राज्य सभा के एक सदस्य ने व्यवधान डाला।[13]

अभिभाषण की विषय-वस्तु

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है और इसलिए उसे इस रूप में सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण में कई पैरा होते हैं जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उपलब्ध की गई सामग्री के आधार पर बनाए जाते हैं। अभिभाषण के कुछ महीने पहले प्रधान मंत्री का कार्यालय भारत सरकार के सचिवों से निवेदन करता है कि वे अभिभाषण में सम्मिलित किए जाने के लिए अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषयों पर सामग्री भेजें।[14] अत: अभिभाषण की विषय-वस्तु के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार उत्तरदायी होती है:

> ''राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक विस्तृत क्षेत्र के बारे में वस्तुत: संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का निरूपण होता है...वह सरकार की नीति की पुनरावृत्ति है। हो सकता है कि वह सरकार के प्रत्येक कार्य की पूर्ण रूप से पुनरावृत्ति न हो; स्वभावत: वह विदेशी तथा घरेलू क्षेत्रों का मोटे तौर पर एक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।''[15]

अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों की समीक्षा होती है और महत्त्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अपनाई गई नीति और सरकार के कार्यक्रम का उल्लेख होता है। किन्तु इसमें वर्ष के सभी सत्रों के दौरान किए जाने वाले समस्त संभावित विधायी कार्य का

उल्लेख नहीं होता। अत: अभिभाषण के बाद अलग से एक बुलेटिन (संसदीय समाचार) जारी किया जाता है जिसमें ऐसे सरकारी, विधायी तथा अन्य कार्य की सूचना दी जाती है जिसे उस सत्र के दौरान लिये जाने की संभावना हो।

अलग बैठक और अभिभाषण की प्रति का रखा जाना

जब संसद् के दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के लिए एक साथ समवेत होते हैं तब वह राज्य सभा (या लोक सभा) की बैठक नहीं होती क्योंकि राज्य सभा की बैठक विधिवत् रूप से तभी होती है जबकि उसकी अध्यक्षता सभापति द्वारा या संविधान के अधीन या राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के अधीन राज्य सभा की किसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम किसी सदस्य द्वारा की जाती है।[16] वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी नहीं होती क्योंकि उसकी अध्यक्षता लोक सभा के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसका संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (3) के अधीन प्रक्रिया विषयक नियमों द्वारा निर्धारण किया जाए। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने के बारे में कतिपय मामलों में ही सोचा जाता है और अनुच्छेद 87 के अधीन सदस्यों के समवेत होने का मामला इन मामलों में नहीं है।[17] तथापि, कभी-कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सदनों के सदस्यों के इस प्रकार एक साथ समवेत होने को ''संयुक्त बैठक'' की संज्ञा दी गई है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से विदित होगा:

18 मार्च, 1967 और 17 फरवरी, 1969 को किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषणों में 'संसद् के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र' शब्दों का प्रयोग किया गया था। 1971 और 1977 के अभिभाषणों के पहले वाक्य में क्रमश: 'पांचवीं संसद् का संयुक्त सत्र' और 'छठी संसद् का संयुक्त सत्र' शब्दों का प्रयोग किया गया था। 1980 में 'सातवीं संसद् का पहला संयुक्त सत्र' शब्दों का प्रयोग किया गया था। 1985 के अभिभाषण में 'आठवीं संसद् का पहला सत्र' शब्दों का प्रयोग किया गया था और 1991 के अभिभाषण में पुन: 'संसद् का संयुक्त सत्र' शब्दों का प्रयोग किया गया था।

1971 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में आरंभ का वाक्य इस प्रकार था:

> ''मुझे हमारे गणतंत्र की पांचवीं संसद् के संयुक्त सत्र में अभिभाषण करते हुए और नए प्रयासों के हेतु आपका आह्वान करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।''

एक सदस्य ने आरंभिक वाक्य के संबंध में एक प्रश्न उठाते हुए यह तर्क दिया कि ''संयुक्त सत्र पांचवीं संसद् का नहीं है बल्कि पांचवीं लोक सभा चल रही है।'' उन्होंने पूछा कि जब राज्य सभा एक स्थायी निकाय है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि यह पांचवीं संसद् का संयुक्त सत्र है।[18]

अभिभाषण की समाप्ति के आधा घंटे बाद राज्य सभा और लोक सभा दोनों सदन अपने-अपने कक्षों में अलग-अलग समवेत होते हैं। संसदीय समाचार में एक पैरा के द्वारा और साथ ही सत्र की बैठकों की अस्थायी सारणी द्वारा सदस्यों को अलग बैठक की सूचना दी जाती है। बैठक की तारीख को अभिभाषण के हिंदी और अंग्रेजी पाठ की एक-एक प्रति, जिसे राष्ट्रपति द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित किया जाता है, सचिवालय को राष्ट्रपति के सैनिक सचिव से प्राप्त होती है और महासचिव उसे राज्य सभा की उस दिन की बैठक में सभा पटल पर रखते हैं। इस प्रकार सदन को औपचारिक रूप से अभिभाषण प्राप्त होता है।

अभिभाषण को औपचारिक रूप से सभा पटल पर रखने के बाद ही अभिभाषण के अंग्रेजी तथा हिंदी पाठ की प्रतियां लॉबी में या प्रकाशन फलक (पब्लिकेशन्स काउंटर) पर सदस्यों में वितरित की जाती हैं। राज्य सभा के संसदीय समाचार के द्वारा सदस्यों को इस व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाता है। दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि, अनुच्छेद 123 के अधीन अध्यादेशों या अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणाओं जैसे आवश्यक पत्रों को सभा पटल पर रखने जैसे कतिपय औपचारिक कार्य करने के बाद सभा दिन-भर के लिए स्थगित कर दी जाती है।

अभिभाषण में किन्हीं त्रुटियों के संशोधनार्थ प्रक्रिया

कभी-कभी अभिभाषण में मुद्रण की त्रुटियां रह सकती हैं। इन त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर सचिवालय द्वारा सदस्यों की सूचना के लिए आवश्यक शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है।

1959 में संसदीय कार्य विभाग ने 9 फरवरी, 1959 को किए गए अभिभाषण में मुद्रण की इस भूल की ओर ध्यान दिलाया कि अभिभाषण के पैरा 35 में ''59 विधेयकों'' के स्थान पर ''49 विधेयकों'' छप गया है और निवेदन किया कि विभाग चाहता है कि इस त्रुटि के बारे में सदस्यों को सूचित किया जाए। यद्यपि धन्यवाद का प्रस्ताव 17 फरवरी, 1959 को स्वीकृत हो गया था तथापि भूल का पता चलने पर 25 फरवरी, 1959 को शुद्धि-पत्र जारी किया गया।[19]

1994 में राष्ट्रपति सचिवालय ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के हिन्दी पाठ के पैरा 44 में निम्नलिखित वाक्य नहीं है:

> ''इस संदर्भ में मैं आश्वस्त हूं कि पिछले शनिवार को ''अग्नि'' के प्रक्षेपण में जिस उच्च तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया है, उसकी प्रशंसा करने में माननीय सदस्यगण मेरा साथ देंगे।''

यह स्पष्टीकरण दिया गया कि जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण का हिन्दी पाठ पढ़ा तब उसमें यह वाक्य था। अत: इसके पहले कि सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो, सचिवालय ने इस संबंध में एक शुद्धि-पत्र जारी किया।[20]

अभिभाषण में अन्य किन्हीं अशुद्धियों के मामले में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है वह यह है कि त्रुटि को दूर किए जाने और सही पाठ का सभा की कार्यवाही में समावेश किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति सभा को एक संदेश भेजता है।

1982 में संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण (अंग्रेजी पाठ) के पैरा 17 में दो त्रुटियां रह गई हैं और यह निवेदन किया कि एक संसदीय समाचार के माध्यम से निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी किया जाए:

(1) पृष्ठ 5 पर, पैरा 17, पंक्ति 7 में ''1981'' के स्थान पर ''1980'' पढ़िए।

(2) पृष्ठ 5 पर, पैरा 17, पंक्ति 12 में ''अंडर-सी लिंक'' शब्दों के बाद ''विद मलयेशिया, माइक्रोवेव लिंक'' शब्द जोड़िए।

(हिन्दी पाठ में भी यही अशुद्धियां थीं अर्थात् पैरा 17 में 1981 के स्थान पर 1980 होना चाहिए था और उसी पैरा में ''मलयेशिया के साथ'' शब्दों के बाद ''समुद्री तार सम्पर्क, तथा श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ माइक्रोवेव सम्पर्क कायम किया गया'' शब्द होने चाहिए थे।)

सभापति का मत था कि यह कार्य राष्ट्रपति का है कि वे स्वयं अपना 'शुद्धि-पत्र' जारी करें जो सभा पटल पर भी रखा जाएगा। अत: संसदीय कार्य विभाग को सूचित किया गया कि राष्ट्रपति का ध्यान उनके अभिभाषण में उक्त त्रुटियों की ओर दिलाया जाए और यदि वे भूल-सुधार का अनुमोदन कर देते हैं तो उनसे निवेदन किया जाए कि वे राज्य सभा को एक संदेश भेजें, चाहे वह सभापति को सीधे ही संबोधित हो या किसी मंत्री के माध्यम से दिया जाए, ताकि इसके बारे में सभा में घोषणा हो सके और उसके बाद उसका राज्य सभा की कार्यवाही और अधिकृत अभिलेखों में समावेश किया जा सके। किंतु सरकार से इस संबंध में आगे कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई।[21]

धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा अभिभाषण पर चर्चा

संविधान में अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा।[22] अनुच्छेद 87(2) में, जैसाकि वह मूल रूप में अधिनियमित किया गया था, यह अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए

उपबंध किया जाएगा। संविधान (पहला) संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा ''और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए'' शब्दों का लोप कर दिया गया। इस संबंध में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कहा था:

> ''कठिनाई यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अपना अभिभाषण किए जाने के बाद यह उपयुक्त होगा कि सदस्यों को उस पर तुरंत चर्चा करने के लिए कहने की बजाय उन्हें उस पर विचार करने और प्रस्ताव रखने के लिए दो या तीन दिन दिए जाएं। नहीं तो दो या तीन दिन बर्बाद हो सकते हैं और हम कुछ भी काम नहीं निपटा पाएंगे। इसलिए उद्देश्य यह नहीं है कि अभिभाषण पर विचार करना स्थगित किया जाए बल्कि यह है कि इन दो या तीन दिनों को बर्बाद न किया जाए, तीन या चार दिन बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए तारीख नियत की जाए ताकि सदस्य अपने प्रस्तावों और दलीलों के साथ तैयार होकर आ सकें। इसमें शक नहीं कि अभिभाषण देने के काफी दिनों बाद उस पर चर्चा करने की कोशिश बेमानी होगी। समय की बर्बादी की कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसा किया गया है।...बेशक यह चर्चा अभिभाषण करने के बाद जल्दी ही होनी चाहिए लेकिन अभिभाषण के तुरंत बाद नहीं।''[23]

इस प्रकार अभिभाषण के कुछ दिनों बाद उस पर चर्चा होती है और बीच की अवधि में दूसरा कार्य किया जाता है। तथापि, 1957 (पहला अभिभाषण), 1962 (पहला अभिभाषण), 1971, 1972 और 1976 में अभिभाषण के अगले दिन चर्चा शुरू हुई। 1978 में राष्ट्रपति का अभिभाषण 20 फरवरी, 1978 को हुआ। सदस्यों को जारी किए गए संसदीय समाचार के अनुसार चर्चा अगले दिन ही अर्थात् 21 फरवरी, 1978 को आरंभ होनी थी। कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति की। सभापति के सुझाव पर मामला उनके कक्ष में निपटाया गया और चर्चा 22 फरवरी, 1978 को अभिभाषण के दो दिन बाद आरंभ हुई।[24]

1996 में साधारण चुनावों के बाद राष्ट्रपति ने 24 मई को एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया था। किंतु इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि इस बीच 13 दिनों तक सत्ता में रहने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।

2000 में राष्ट्रपति ने 23 फरवरी को एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया था। तथापि, बजट सत्र के पहले भाग में अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा आर॰एस॰एस॰ की गतिविधियों में अपने कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के संबंध में एक परिपत्र जारी किए जाने और बिहार राज्य में सरकार के गठन के संबंध में बिहार के राज्यपाल की कार्यवाही के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही थी। बजट सत्र के दूसरे भाग में 18 अप्रैल, 2000 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसी दिन उस पर चर्चा भी आरंभ हुई।[25]

अभिभाषण पर चर्चा किसी सदस्य द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित करने और किसी दूसरे सदस्य द्वारा उसका समर्थन करने के बाद आरंभ होती है।[26] धन्यवाद प्रस्ताव उपस्थित करने वाला सदस्य तथा उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाला सदस्य सत्तारूढ़ दल का होता है। इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना (नोटिस) संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद संसदीय समाचार और कार्यावलि में धन्यवाद प्रस्ताव को प्रकाशित किया जाता है।

> एक अवसर पर (जो अपनी तरह का पहला अवसर था) 13 फरवरी, 1995 को दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दो सदस्यों के नाम से गृहीत हुआ था जिनमें से एक प्रस्तावक था और दूसरा समर्थक।[27] चर्चा की अस्थायी तारीखें 14, 15 और 20 मार्च, 1995 के लिए नियत की गई थीं।[28] 1 से 23 अप्रैल, 1995 तक सदन में बजट मध्यावकाश रहा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रस्ताव भेजा जिसमें एक अन्य सदस्य का नाम प्रस्तावक के रूप में था जबकि समर्थक का नाम पहले जैसा ही रहा। यह प्रस्ताव पिछले प्रस्ताव

के स्थान पर सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया था। 25 अप्रैल, 1995 को (अर्थात् अभिभाषण के बाद दो महीने से अधिक होने पर) धन्यवाद प्रस्ताव के लिए जाने पर एक सदस्य ने आरंभ में अधिसूचित किए गए सदस्य के नाम के स्थान पर एक अन्य सदस्य का नाम रखने के बारे में एक औचित्य प्रश्न उठाया। उपसभाध्यक्ष ने यह कहते हुए औचित्य प्रश्न की अनुमति नहीं दी कि इस मामले के बारे में उपसभापति से उनके कक्ष में बात हो चुकी है और वे इस पर विचार कर चुकी हैं।[29]

धन्यवाद प्रस्ताव का प्ररूप इस प्रकार है:

''राष्ट्रपति ने ... (तारीख) को संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य,[30] जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं राष्ट्रपति[31] के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।''

जहां तक प्ररूप का संबंध है, प्रस्ताव में ''ग्रेटफुल (कृतज्ञ)'' शब्द का प्रयोग किए जाने पर आपत्ति करते हुए एक औचित्य प्रश्न उठाया गया । तर्क यह दिया गया कि जब नियम 15 में ''थैंक्स (धन्यवाद)'' के प्रस्ताव का उपबंध है तब प्रस्ताव में ''ग्रेटफुल (कृतज्ञ)'' शब्द का प्रयोग करना असंवैधानिक है। औचित्य प्रश्न को अस्वीकार करते हुए उपसभापति ने यह टिप्पणी की कि ''ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी'' के अनुसार ''ग्रेटफुल'' का अर्थ ''थैंकफुल'' होता है और इसके अतिरिक्त अनेक वर्षों से प्रस्ताव में इस शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है।[32]

सभापति अनुच्छेद 87(2) के अधीन सभा के नेता के साथ परामर्श करके अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय का आवंटन करता है।[33] यद्यपि अनुच्छेद 86(1) में उसमें उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए कोई उपबंध नहीं है तथापि, एक नियम बनाया गया है जिसके अधीन ऐसे अभिभाषण पर चर्चा के लिए भी समय का आवंटन करने के लिए सभापति को शक्ति प्रदान की गई है।[34]

अभिभाषण के लगभग एक सप्ताह पूर्व संसदीय कार्य मंत्रालय से पत्र प्राप्त होता है जिसमें अभिभाषण पर चर्चा के लिए प्रस्तावित तारीख का उल्लेख होता है। इन तारीखों को संसदीय समाचार में सदस्यों की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है। किन्तु कभी-कभी सदन की इच्छा के अनुसार इन तारीखों में परिवर्तन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, 24 मार्च, 1971 को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के पहले सभापति ने कार्य मंत्रणा समिति की इस सिफारिश की घोषणा की कि उस दिन की चर्चा के बाद उसे 31 मार्च, 1971 के बाद उन तारीखों को पुन: आरंभ किया जाएगा जिन्हें वे निर्धारित करेंगे।[35] तद्नुसार चर्चा 1 अप्रैल, 1971 को पुन: आरंभ हुई। एक दूसरे अवसर पर अभिभाषण पर चर्चा मूल अधिसूचना के अनुसार 21 फरवरी, 1974 को शुरू होनी थी किन्तु 19 फरवरी, 1974 को संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री ने सुझाव दिया कि उस दिन डाक्टरों की हड़ताल पर चर्चा की मांग को देखते हुए अभिभाषण पर चर्चा को 25 फरवरी, 1974 के लिए स्थगित किया जाए। सदन इसके लिए सहमत हो गया।[36]

चर्चा सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण के साथ शुरू होती है और भाषण की समाप्ति पर प्रस्ताव का समर्थन करने वाला सदस्य भाषण देता है।

एक बार प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्य ने भाषण नहीं किया किन्तु सिर्फ यह कहा कि उसने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। उसने प्रस्ताव पर संशोधन रखे जाने के बाद भाषण किया।[37]

सामान्यत: आरंभ में चर्चा के लिए 3-4 दिन नियत किए जाते हैं यद्यपि अंतत: चर्चा का समय बढ़ सकता है। चर्चा के लिए नियत किए गए दिनों में सभा को अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा करने का अधिकार है।[38]

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दायरा बहुत व्यापक होता है और सदस्यों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मामले पर बोलने की छूट है। नियमों के द्वारा सदस्यों को सभा में बोलते समय कुछ सामान्य मर्यादाओं का पालन करना होता है। बोलते समय[39] सदस्य उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों[40] पर या दूसरे सदन के सदस्यों पर आक्षेप नहीं कर सकते[41] या राष्ट्रपति के नाम का उपयोग नहीं कर सकते[42] और न्यायालय में विचाराधीन[43] या किसी संसदीय समिति में विचाराधीन[44] मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी सदस्यों को इन मर्यादाओं का पालन करना होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे जाने वाले संशोधन

धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति पर ही दी जा सकती है। किन्तु धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना मिलने और उसके संसदीय समाचार में प्रकाशित होने के बाद ही संशोधनों की सूचियां सदस्यों में वितरित की जाती हैं। परम्परा यह रही है कि धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी संशोधन विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा ही दिए जाते हैं। किन्तु 1991 में स्वयं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना दी थी और उन्हें उपस्थित किया था।[45]

2000 में राष्ट्रपति ने 23 फरवरी, 2000 को एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। तथापि, 18 अप्रैल, 2000 (सत्र के दूसरे भाग में) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ग्रहण किया गया। इस बीच संशोधनों की सूचना देने वाले राज्य सभा के कुछ सदस्य 18 अप्रैल, 2000 से पहले सेवानिवृत्त हो गए। परिणामस्वरूप सचिवालय द्वारा संशोधनों की संशोधित सूची जारी की गई जिसमें से सेवानिवृत्त सदस्यों के नाम वाले संशोधनों को हटा दिया गया।[46]

सामान्यत: सदस्यगण अभिभाषण में उल्लिखित मामलों के संबंध में संशोधन रखते हैं या ऐसे मामलों के संबंध में संशोधन रखते हैं जिनका उनकी राय में अभिभाषण उल्लेख करने में विफल रहा है।

> अनुच्छेद 87(2) और नियम 13, 14 और 19 में अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों, शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसे दृष्टि में रखते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों के दायरे के संबंध में राज्य सभा में लंबी-चौड़ी चर्चा हुई। कुछ चर्चा हो चुकने के बाद सभापति ने व्यवस्था की कि वे धन्यवाद प्रस्ताव पर उन संशोधनों को स्वीकार करेंगे जिनका अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि वे मामले पर कोई संकीर्ण कानूनी दृष्टि नहीं अपनाएंगे और उनकी यथासंभव उदार से उदार व्याख्या करेंगे तथापि, वे संविधान के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकते।[47]
>
> कुछ वर्षों बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर एक सदस्य के संशोधन को स्वीकृति न देने के संदर्भ में यह मामला फिर उठा। सभापति ने अपनी पिछली व्यवस्था का पुन: उल्लेख किया और यह टिप्पणी की कि जिन मामलों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रत्यक्षत: चर्चा नहीं हुई है उन्हें संशोधनों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। किंतु सदस्यगण अपने भाषणों में उनका उल्लेख कर सकते हैं। किंतु उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें बच निकलने का रास्ता यह है कि संशोधन में यह कहा जा सकता है कि ''खेद है कि अभिभाषण में अमुक-अमुक बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।''
>
> जब सभापति का ध्यान बम्बई के द्विभाषी राज्य के संबंध में एक ऐसे संशोधन की ओर दिलाया गया जिसके बारे में अभिभाषण में उल्लेख न होते हुए भी उसे रखने की अनुमति दी गई थी तब सभापति ने टिप्पणी की कि यद्यपि अभिभाषण में उस मामले का विशेष रूप से उल्लेख नहीं था तथापि अभिभाषण में राज्यों के पुनर्गठन के मामले का उल्लेख किया गया था और यदि उसमें इस मामले का उल्लेख नहीं होता तो वे संशोधन की अनुमति कभी नहीं देते।[48]

धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन उपस्थित किए जा सकते हैं जिसे सभापति उपयुक्त समझे।[49] संशोधन का सामान्य रूप इस प्रकार है:

''प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं किया गया है... अभिभाषण यह उल्लेख करने में विफल रहा है... अभिभाषण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया... आदि, आदि'।''

किंतु एक बार एक संशोधन इस रूप में भी दिया गया था:

''और इस बात को देखते हुए सभा को संतोष है'' आदि, आदि।[50]

सदस्यों द्वारा जिन संशोधनों की सूचना दी जाती है उनकी सचिवालय द्वारा जांच की जाती है और उनमें से जो संशोधन प्रथम दृष्टि में नियमानुसार होते हैं उन्हें सदस्यों में परिचालित किया जाता है। ऐसे संशोधनों को गृहीत या परिचालित नहीं किया जाता है जो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं होते या जिनमें किसी मित्र देश या राष्ट्राध्यक्ष के संबंध में अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया हो या मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री या किसी राज्य विधान सभा के अध्यक्ष जैसे उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप किया गया हो या जो तुच्छ स्वरूप के हों या जिनका कोई तथ्यात्मक आधार न हो या जो अस्पष्ट हों या अभिभाषण के दायरे में नहीं आते हों या उससे संबंधित न हों। किंतु ऐसे संशोधनों में से आपत्तिजनक अंशों को निकालकर परिचालित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ऐसा संशोधन दिया गया था जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका का उल्लेख किया गया था। इस संशोधन में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख निकालकर उसे परिचालित कर दिया गया। सदस्यों ने इस पर आपत्ति की और संशोधनों को उपस्थित नहीं किया गया।[51]

अभिभाषण पर चर्चा का आरंभ प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य के भाषण से होता है। संशोधनों की सूची के अनुसार जिन सदस्यों ने संशोधनों की सूचना दी होती है उनसे अपने संशोधनों को उपस्थित करने के लिए कहा जाता है। इस अवस्था में भी सभापति किसी संशोधन को, चाहे वह सदस्यों को परिचालित हो चुका हो, स्वविवेक के अनुसार नियम-विरुद्ध ठहरा सकता है।[52] सभापति ऐसे संशोधनों में से आपत्तिजनक अंशों के निकाले जाने के बाद उन्हें उपस्थित करने की अनुमति दे सकता है। चर्चा आरंभ होने के बाद संशोधनों को उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी जाती। प्रस्ताव पर और उस पर उपस्थित किए गए संशोधनों पर एक साथ चर्चा होती है। संशोधनों पर अलग से चर्चा नहीं होती। अत: सदस्यों को अपने संशोधनों आदि पर अलग से समय दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।[53]

सभापति, यदि वह उपयुक्त समझे, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकता है।[54] सामान्य स्थापित प्रक्रिया के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभा द्वारा जो समय नियत किया जाता है उसे विभिन्न दलों और समूहों में सदन में उनकी संख्या के अनुसार बांट दिया जाता है।

सामान्यत: सभा की बैठक के दौरान अभिभाषण पर चर्चा को बीच में रोककर औपचारिक कार्य के सिवाय कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता।[55] किंतु कई बार ऐसा हुआ है जब किसी ध्यानाकर्षण[56] या अल्पकालिक चर्चा[57] के लिए अभिभाषण पर चर्चा रोक दी गई। किसी सरकारी विधेयक पर चर्चा[58] या अन्य सरकारी कार्य[59] को करने के लिए अभिभाषण पर चर्चा को बीच में रोका जा सकता है।

अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सभा को अपेक्षा होती है कि कोई कैबिनेट मंत्री/वरिष्ठ मंत्री सभा में हमेशा उपस्थित रहे। ऐसे मंत्रियों की अनुपस्थिति को देखते हुए सभापीठ ने कई बार टिप्पणियां की हैं।

1 मई, 1962 को जब मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद सभा धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करने के लिए समवेत हुई तब यह औचित्य प्रश्न उठाया गया कि कोई भी मंत्री सभा में उपस्थित नहीं है। सभा को दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।[60] अगले दिन सभापति ने टिप्पणी की:

''गत दस वर्षों में पहली बार सभा को दस मिनट के लिए स्थगित होना पड़ा। जब वहां गंभीर मामलों पर

चर्चा हो रही थी तब सरकार का एक भी मंत्री उपस्थित नहीं था। मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति फिर नहीं आएगी और सरकार सभा के प्रति अपने दायित्व के बारे में सावधान रहेगी।''[61]

चर्चा के दौरान किसी भी वरिष्ठ मंत्री के अनुपस्थित रहने पर सभापति ने टिप्पणी की: ''जब सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही हो तब सभा में वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति से बहुत लाभ होगा।'' बाद में उपसभापति ने भी टिप्पणी की: ''मैं सरकार से पुन: आग्रह करूंगी कि कैबिनेट स्तर का कोई वरिष्ठ मंत्री यहां पर रहना चाहिए।'' कुछ देर के बाद प्रधान मंत्री आए और उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा: ''मैं समझता हूं कि हममें से किसी को यहां उपस्थित रहना चाहिए।''[62]

एक दूसरे अवसर पर जब अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसी भी मंत्री के उपस्थित न रहने का ऐसा ही मुद्दा उठाया गया तब उपसभापति ने कैबिनेट मंत्रियों द्वारा सभा के प्रति प्रदर्शित की गई अशिष्टता और असम्मान पर अत्यन्त खेद व्यक्त करते हुए सभा को पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित कर दिया।[63]

21 मार्च, 1967 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभा में किसी भी मंत्री के उपस्थित न रहने के कारण उपसभापति ने सभा को दस मिनट के लिए स्थगित कर दिया।[64]

बाद में एक ऐसे ही अवसर पर सभापति को मंत्रियों के उपस्थित न रहने पर बहुत खेद हुआ। उन्होंने यह कहा कि सभा की भावनाओं को मंत्रि-मंडल के मंत्रियों तक पंहुचाया जाएगा।[65]

एक अन्य अवसर पर जब एक सदस्य ने मंत्रि-मंडल के किसी मंत्री के उपस्थित न रहने पर सभापीठ से व्यवस्था चाही तब उपसभाध्यक्ष ने टिप्पणी की ''किसी कैबिनेट मंत्री को भी यहां पर शिष्टाचार और सौजन्य के नाते उपस्थित रहना चाहिए।''[66]

चर्चा के अंत में सरकार की ओर से प्रधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में भाग लिया हो या नहीं, सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होता है।[67] नियम 18 के हाशिए में दिए गए शीर्षक से प्रतीत होता है कि सरकार को उत्तर देने का अधिकार है। (धन्यवाद प्रस्ताव को उपस्थित करने वाले सदस्य को नहीं।) किन्तु एक बार सभापति ने यह कहा कि प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को उत्तर देने का अधिकार है यद्यपि इसके बाद प्रस्तावक ने सिर्फ यह कहा कि प्रधान मंत्री के भाषण के बाद उसे (प्रस्तावक को) सभा का समय नहीं लेना चाहिए।[68] इसके होते हुए भी स्थापित नियम और प्रथा हमेशा से यही रही है कि धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा का उत्तर प्रधान मंत्री या कोई अन्य मंत्री देता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों से दिखाई देगा:

1952, 1953, 1954, 1957 और 1959 में प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद के बीच में भाषण किया और सभा के नेता ने वाद-विवाद का उत्तर दिया; 1955, 1956 और 1958 में सभा के नेता ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। 1961 में प्रधान मंत्री वाद-विवाद के बीच में बोले जबकि विधि मंत्री ने सभा के नेता के बीमार होने और उनके अनुपस्थित रहने पर वाद-विवाद का उत्तर दिया। 1964 में गृह मंत्री ने सभा के नेता के बीमार होने और उनके अनुपस्थित रहने पर वाद-विवाद का उत्तर दिया। 1960, 1962, 1963, 1965 में और बाद के वर्षों में प्रधान मंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी वाद-विवाद का उत्तर दिया। 1999 और 2000 में सदन के नेता ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया क्योंकि प्रधान मंत्री अस्वस्थ थे।

चर्चा के उत्तर के बाद उपस्थित किए गए संशोधनों को निपटाया जाता है। या तो उन्हें सभा की अनुमति से वापस लिया जाता है या उन पर सभा में मतदान कराया जाता है। यदि कोई सदस्य सभा में संशोधन उपस्थित कर चुका हो किन्तु मतदान के समय सभा में उपस्थित न हो तो सभा द्वारा उसकी अनुपस्थिति में ही संशोधन को निपटाया जाता है। यदि संशोधनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सभा में मूल रूप से उपस्थित धन्यवाद प्रस्ताव पर, आवश्यक होने पर विभाजन द्वारा भी, मत लिया जाता है और उसे स्वीकृत किया जाता है। किन्तु 1991 में, धन्यवाद प्रस्ताव पर 27 फरवरी, 1991 और 5 मार्च, 1991 को चर्चा हुई।

चर्चा समाप्त नहीं हुई और धन्यवाद प्रस्ताव पर सभा का मत नहीं लिया गया। ऐसा होने का कारण यह था कि प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने 6 मार्च, 1991 को लोक सभा में अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया था।

यदि किसी संशोधन या किन्हीं संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है तो यथासंशोधित धन्यवाद प्रस्ताव पर सभा का मत लिया जाता है और उसे स्वीकृत किया जाता है।

1980 में एक संशोधन के स्वीकृत होने पर धन्यवाद प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में स्वीकृत हुआ:

''राष्ट्रपति ने 23 जनवरी, 1980 को संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों वाले राज्यों की विधान सभाओं में बड़े पैमाने पर दल-बदल कराने और यहां तक कि सभी परिसंघीय सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करके ऐसी विधान सभाओं को मनमाने तौर पर भंग करने के क्षोभजनक प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और उसमें ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि सरकार संविधान में उलट-पलट करने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों तथा मानदण्डों की अवहेलना करने के ऐसे प्रयासों को किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं देगी।''[69]

1989 में धन्यवाद प्रस्ताव पर छह संशोधन स्वीकृत हुए और धन्यवाद प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में स्वीकृत हुआ:

''राष्ट्रपति ने 20 दिसम्बर, 1989 को संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ज्वलंत विवाद और उसका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है;

राज्य सरकारों को अस्थिर न होने देने के लिए उठाए जाने कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार ''काम करने के अधिकार'' को एक मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी;

भारत-श्रीलंका समझौते के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि तमिल लोगों के जीवन और सुरक्षा के मामले में तथा पूर्वोत्तर प्रांतों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में सरकार का स्पष्टत: क्या रुख है;

देश की एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले आनन्दपुर साहब संकल्प के बारे में सरकार के रुख का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है;

जम्मू-कश्मीर में दिसम्बर, 1989 में आतंकवादियों को रिहा करके राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी शक्तियों की मांगों के सामने सरकार द्वारा पूरी तरह से घुटने टेकने और उसके द्वारा समूचे राष्ट्र और उसकी प्रतिष्ठा को निर्लज्जतापूर्वक कलंकित किए जाने के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।''[70]

2001 में, एक संशोधन के स्वीकृत होने पर धन्यवाद का प्रस्ताव निम्नलिखित रूप से अंगीकृत किया गया:

राष्ट्रपति ने 19 फरवरी, 2001 को संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शत-प्रतिशत केन्द्रीय स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बाल्को, जिसका सतत् रूप से लाभ कमाने का रिकॉर्ड रहा है और जिसके पास विशाल नकद भंडार था, को निजी क्षेत्र की एक ऐसी कंपनी को बेचने के सरकार के निर्णय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसका ऐलुमिनियम विनिर्माण करने वाली कंपनी का प्रबंधन करने और उसे चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड ज्ञात नहीं है और जिसका स्वरूप भी संदेहास्पद है।[71]

राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाना

धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने के बाद सभापति एक पत्र द्वारा उसे सीधे ही राष्ट्रपति के पास भेजता है।

> 1952 में पहला धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति को एक पत्र के द्वारा भेजा गया था। एक सुझाव प्राप्त हुआ कि संबंधित सदनों के सचिव स्वयं राष्ट्रपति के पास जाकर उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव दें और इसी प्रकार राष्ट्रपति के उत्तर को भी राष्ट्रपति सचिवालय के एक अधिकारी द्वारा भेजा जाए। राष्ट्रपति ने राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का अनुमोदन किया। यह निर्णय किया गया कि इस नई प्रक्रिया को आने वाले वर्षों से लागू किया जाए, किंतु 1953, 1954 और 1955 में इन अवसरों पर राष्ट्रपति के दिल्ली से बाहर रहने के कारण इस प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया जा सका। अत: 1956 में यह निर्णय किया गया कि एक पत्र द्वारा राष्ट्रपति के पास धन्यवाद प्रस्ताव भेजने की विद्यमान प्रक्रिया जारी रखी जाए।[72]

सामान्यत: पत्र का प्ररूप निम्नलिखित होता है:

> ''प्रिय राष्ट्रपति महोदय,
>
> आपके द्वारा.... (तारीख) को संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में किए गए अभिभाषण पर राज्य सभा द्वारा... (तारीख) को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव को आपके पास भेजते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।
>
> प्रस्ताव की शब्दावलि इस प्रकार है:
>
> (स्वीकृत रूप में प्रस्ताव का पाठ)
>
> भवदीय,
> सभापति''

1989 में संशोधित रूप में धन्यवाद प्रस्ताव भेजते समय पत्र के अन्तिम अंश में (''स्वीकृत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव को'') शब्दों को बाद में इस प्रकार परिवर्तित किया गया: ''मुझे आपके पास भेजना है।''[73]

सभापति के पत्र के उत्तर में प्रस्ताव की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति यह संदेश देते हैं कि संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में ''उनके अभिभाषण पर राज्य सभा के सदस्यों ने जो कृतज्ञता ज्ञापित की है उससे उन्हें अत्यंत संतोष हुआ है।'' किंतु 1980, 1989 और 2001 में जब राष्ट्रपति को संशोधित रूप में धन्यवाद प्रस्ताव भेजे गए थे तब उन्होंने अपने संदेश में सभापति को उनके उन अर्धशासकीय पत्रों के लिए धन्यवाद दिया जिनमें उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।[74] राष्ट्रपति का संदेश सभा में उस समय पीठासीन सभापति/उपसभापति/उपसभाध्यक्ष द्वारा पढ़ा जाता है।[75] किंतु यदि राष्ट्रपति का संदेश उस समय प्राप्त होता है जब सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो सदस्यों की सूचना के लिए उसे संसदीय समाचार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है।[76]

राष्ट्रपति के संदेश और सभा को उनकी सूचना

राष्ट्रपति संसद् में उस समय लंबित किसी विधेयक से संबंधित संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद् के किसी सदन को भेज सकता है और जिस सदन को कोई संदेश इस तरह भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है।[77] जब सभापति को ऐसा संदेश मिलता है तब वह सभा में संदेश को पढ़कर सुनाता है और संदेश में उल्लिखित मामलों के संबंध

में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आवश्यक निदेश देता है। ऐसे निदेश देने में सभापति को उस सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है जिस सीमा तक आवश्यक हो।[78] किंतु राष्ट्रपति ने संविधान के आरंभ से इस उपबंध के अधीन कोई संदेश नहीं भेजा है।

राष्ट्रपति धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर विचार-विमर्श और मतदान कराने के प्रयोजन से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराने के लिए उन्हें आहूत करने के अपने इरादे को अधिसूचित करने वाला संदेश भी भेज सकता है।[79] दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 और बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गए थे। जैसीकि संविधान के अनुच्छेद 108(1) में अपेक्षा की गई है, इन दो विधेयकों के संबंध में क्रमशः 19 अप्रैल, 1961 और 10 मई, 1978 को संदेश प्राप्त हुए थे। जब दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 के बारे में सभा में संदेश प्राप्त हुआ तब सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।[80] (सभापति ने संबंधित संयुक्त बैठकों के लिए निर्धारित तारीखों की भी घोषणा की।)

अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे।[81] 7 जनवरी, 1990 को राज्य सभा को एक संदेश भेजा गया जिसमें भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, 1986 को लौटाया गया था।[82]

राष्ट्रपति और राज्य सभा के बीच संवाद

राष्ट्रपति से राज्य सभा को संवाद, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा सभापति को किया जाता है और यदि राष्ट्रपति राज्य सभा की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो उसका संदेश मंत्री की मार्फत सभापति को पहुंचाया जाता है।[83]

राज्य सभा से राष्ट्रपति को संवाद —

(1) सदन में प्रस्ताव उपस्थित किए जाने और उसके स्वीकृत हो जाने के बाद, औपचारिक समावेदन द्वारा; और

(2) सभापति की मार्फत किया जाता है।[84]

अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भेजने के सिवाय राज्य सभा ने राष्ट्रपति से और कोई संवाद नहीं किया है।

टिप्पणियां और संदर्भ

1. अनुच्छेद 87 (1)
2. पार्लियामेंटरी डिबेट्स (2), 2.6.1951, कालम 9960
3. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.2.1970, कालम 1–16
4. तारीख 8.3.1963 का प्रतिवेदन, 12.3.1963 को लोक सभा में प्रस्तुत, पृष्ठ 5-6
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.2.1963, कालम 91
6. फा॰ सं॰ 2/2/63-एल; संसदीय समाचार (1), 19.2.1963
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.2.1963, कालम 232-33

8. राज्य सभा वाद-विवाद, 7.4.1971, कालम 126
9. -वही- कालम 209
10. हिन्दुस्तान टाइम्स, 21.12.1989
11. टाइम्स ऑफ इंडिया, 13.3.1990
12. -वही- 22.2.1991
13. हिन्दुस्तान टाइम्स, 12.7.1991
14. फा॰ सं॰ 2/1/74-एल और 2/1/90-एल
15. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.2.1953, कालम 361
16. अनुच्छेद 118; नियम 10
17. अनुच्छेद 118(3) और (4); संसद् के सदन (संयुक्त बैठकें तथा संसूचनाएं) नियम का नियम 5
18. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.3.1971, कालम 51-52
19. फा॰ सं॰ 2/1/82-एल में उल्लिखित
20. फा॰ सं॰ 2/1/94-एल
21. फा॰ सं॰ 2/1/82-एल
22. अनुच्छेद 87(2); नियम 14–19
23. पार्लियामेंटरी डिबेट्स (2), 2.6.1951, कालम 9959
24. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.2.1978, कालम 31–40
25. संसदीय समाचार (1), 18.4.2000
26. नियम 15; तथापि सरकार बदल जाने के कारण, 24 मई, 1996 को दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया था। **देखिये**, राज्य सभा वाद-विवाद, 16 जुलाई, 1996, जब माननीय सदस्य ने अभिभाषण पर चर्चा की आवश्यकता के संबंध में एक विशेष उल्लेख किया
27. संसदीय समाचार (2), 17.2.1995
28. -वही- 21.2.1995
29. -वही- 29.3.1995 और राज्य सभा वाद-विवाद, 25.4.1995
30. 1954 तक धन्यवाद प्रस्ताव (1952, 1953 और 1954 के लिए) में राज्य सभा के स्थान पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का उल्लेख था। अप्रैल, 1954 में इसके लिए ''राज्य सभा'' का प्रयोग जारी हुआ।
31. जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए अभिभाषण करते हैं तब प्रस्ताव की शब्दावलि में उपयुक्त परिवर्तन किया जाता है। उदाहरणार्थ, 1964 और 1977 के धन्यवाद प्रस्तावों को **देखिये**
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.2.1974, कालम 106–11
33. अनुच्छेद 87(1); नियम 14
34. नियम 20
35. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.3.1971, कालम 14
36. -वही- 19.2.1974, कालम 102-03, 134
37. -वही- 4.4.1977, कालम 112 और 146–51
38. नियम 15
39. नियम 231 और 233

40. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.3.1984, कालम 292-93
41. -वही- 26.2.1979, कालम 283, 289; 27.12.1989, कालम, 325
42. -वही- 20.2.1961, कालम 499–501
43. -वही- 8.1.1976, कालम 145-46
44. -वही- 1.3.1988, कालम 212
45. -वही- 17.7.1991 (संशोधन सं॰ 52–97, 192–225, 257), कालम 226–37, 253–61, 263–76
46. फा॰ सं॰ आर॰ एस॰ 2/1/(ए)/2000-एल
47. -वही- 19.5.1952, कालम 78–94
48. -वही- 12.2.1959, कालम 442–44
49. नियम 16
50. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.2.1963, कालम 264-65
51. -वही- 17.7.1991, कालम 222–25, 261-62, 280
52. -वही- 19.5.1952, कालम 103; 13.2.1953, कालम 73; 17.2.1954, कालम 229; 23.2.1955, कालम 203; 19.3.1957, कालम 69; 16.5.1957, कालम 411; 12.2.1958, कालम 11.2.1959, कालम 282; 10.2.1960, कालम 294–304; 13.3.1962, कालम 102; 20.2.1963, कालम 262–64, 12.2.1964, कालम 283, 308
53. -वही- 2.3.1970, कालम 197
54. नियम 19
55. नियम 17(1)(ख)
56. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.2.1970, कालम 192 आदि; 25.3.1971, कालम 18 आगे और भी
57. -वही- 24.2.1970, कालम 226
58. नियम 17 (2); राज्य सभा वाद-विवाद, 25.3.1971, कालम 44 आगे और भी; 28.12.1989, कालम 356 आदि
59. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.3.1971, कालम 95 आदि
60. -वही- 1.5.1962, कालम 1295–97
61. -वही- 2.5.1962, कालम 1499-1500
62. -वही- 3.3.1965, कालम 1733, 1742, 1782
63. -वही- 22.2.1966, कालम 929; 24.2.1966, कालम 1252
64. -वही- 21.3.1967, कालम 355
65. -वही- 23.3.1967, कालम 608–10
66. -वही- 1.4.1971, कालम 173-74; 22.2.1979, कालम 228
67. नियम 18
68. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.1.1980, कालम 344
69. -वही- कालम 351-56
70. -वही- 29.12.1989, कालम 363-64
71. -वही- 12.3.2000, कालम 523

72. फा॰ सं॰ 2/1/55-एल; 2/1/56-एल
73. फा॰ सं॰ 2/2/89-एल
74. फा॰ सं॰ 2/1/80-एल; 2/2/89-एल; 2/1/2001/एल; और संसदीय समाचार (1), 20.3.2001
75. नियम 221
76. संसदीय समाचार (2), 16.4.1977; 22.1.1990
77. अनुच्छेद 86(2)
78. नियम 21
79. अनुच्छेद 108(1)
80. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.4.1961, कालम 49; 10.5.1978, कालम 173-74
81. अनुच्छेद 111 का परन्तुक
82. संसदीय समाचार (2), 10.1.1990
83. नियम 221
84. नियम 222